संख्या-522/2023/1374रासनि/23-1-23/004-05(ए)/आरएसएन-वीएनएस/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 17 जून, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 25 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4641/CE-HQ-1/RSN 5054/VNS/2023-24, दिनांक 07.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 25 मार्गों **के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 5,19,73,000/- (रूपये पॉच करोड़ उन्नीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. जौनपुर	जोगापुर नहर से गोपालपुर होते हुए मईडीह पुलिया तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी- दिनांक-07-01-2022	9.56 9.56 5.90 0.36 **9.20**	5.74	3.46	3.46
2	नि.ख.-1 गाजीपुर	बड़सरा आरी सईतापट्टी से जिगना घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20- दिनांक-01-03-2021	83.93 83.93 64.28 2.16 **81.77**	67.05	14.72	11.77
3	नि.ख.-1 गाजीपुर	देवकली मुसहर बस्ती से बकैनियां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक- 19-03-2021	68.50 68.50 52.78 1.72 **66.78**	51.95	14.83	11.86
4	नि.ख.-1 गाजीपुर	चुटहा पलिया प्राथमिक विद्यालय से करनहीं तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक- 19-03-2021	120.29 120.29 93.76 0.52 **119.77**	115.56	4.21	4.21
5	नि.ख.-1 गाजीपुर	ड्योढ़ी जूनियर हाईस्कूल से कर्मनाशा पुलिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक- 19-03-2021	24.21 24.21 17.99 0.69 **23.52**	21.78	1.74	1.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
6	नि.ख.-1 गाजीपुर	धनाड़ी परशुराम यादव के घर से ट्यूबवेल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किमी. 1(750)	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	70.28 70.28 54.10 0.36 **69.92**	62.30	7.62	6.09
7	नि.ख.-1 गाजीपुर	गहमर भतौरा मार्ग बघौता से मनिहर वन (मनभद्र बाबा) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किमी. 1,2(520)	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	99.52 99.52 54.10 1.00 **98.52**	89.39	9.13	7.30
8	नि.ख.-1 गाजीपुर	जीवपुर से महेवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	68.64 68.64 53.01 0.76 **67.88**	61.55	6.33	5.06
9	नि.ख.-1 गाजीपुर	नई बाजार देवैथा मार्ग से रामनरायनुपर हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किमी. 1	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	46.84 46.84 34.55 0.18 **46.66**	42.07	4.59	4.59
10	नि.ख.-1 गाजीपुर	नरसिंहपुर से परमेश्वरपुर तक सम्पर्क मार्ग	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	35.74 35.74 26.99 0.02 **35.72**	28.53	7.19	5.75
11	नि.ख.-1 गाजीपुर	परनहीं से आरंगी मार्ग के अवशेष भाग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	59.91 59.91 45.62 0.02 **59.89**	50.49	9.40	7.52
12	नि.ख.-1 गाजीपुर	रायपुर माइनर भीठा होते हुए इकबाल सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	57.38 57.38 43.89 0.25 **57.13**	51.40	5.73	4.58
13	नि.ख.-1 गाजीपुर	सरैला गाँव में सरैला मुख्य मार्ग से कब्रिस्तान होते हुए बिन्द बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	36.97 36.97 27.70 0.02 **36.95**	33.19	3.76	3.76
14	नि.ख.-1 गाजीपुर	तारनबाँध से दिल्लाचवर महली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	177.31 177.31 138.94 6.33 **170.98**	141.13	29.85	23.88
15	नि.ख.-1 गाजीपुर	चक गौस सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	55/2022/1826 रासनि/23-1-21-119 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	92.99 92.99 70.74 0.05 **92.94**	74.30	18.64	14.91
16	नि.ख.-1 गाजीपुर	अतरसुआ यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	55/2022/1826 रासनि/23-1-21-119 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	53.91 53.91 40.66 0.05 **53.86**	42.99	10.87	8.69
17	नि.ख.-1 गाजीपुर	फुलवारी हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 - दिनांक-07-01-2022	107.21 107.21 80.87 0.03 **107.18**	85.72	21.46	17.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
18	प्रा.ख. गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद कि0मी0 25 से सेमरा तक मार्ग का निर्माण कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	36.35 36.35 30.04 0.02 **36.33**	28.53	7.80	6.24
19	नि.ख. चंदौली	शहाबगंज के तियरा राममाढ़ो मार्ग से भटरौल गांव एवं हरिजन वस्ती तक आबादी भाग में सी0सी0, नाली एवं पक्की रोड का निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	271.47 271.47 197.63 8.25 **263.22**	176.46	86.76	58.55
20	नि.ख. चंदौली	शहाबगंज के लेहरा गांव पोखरा से ब्राम्हण बस्ती एवं पासवान बस्ती होते हुए सैदूपुर बड़ौरा मार्ग तक सी0सी0, नाली एवं पक्की रोड का निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	202.24 202.24 139.82 3.89 **198.35**	141.56	56.79	37.34
21	नि.ख. चंदौली	शहाबगंज के चन्द्रावती मुस्लिम बस्ती, हरिजन बस्ती, ठेकहा सम्पर्क मार्ग पर सीसी0, नाली एवं पक्की रोड निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	139.78 139.78 115.88 0.85 **138.93**	121.42	17.51	14.00
22	नि.ख. चंदौली	शहाबगंज के उजारी कटवां बाया कनेरा सिरसिया एवं कटवां मार्ग तक पुलिया एवं मार्ग निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	280.52 280.52 211.53 0.03 **280.49**	182.34	98.15	67.32
23	नि.ख. चंदौली	शहाबगंज के चकिया चन्दौली मार्ग से गजधरा प्रा0 स्कूल तक आबादी भाग में सी0सी0, नाली, पुलिया एवं मार्ग निर्माण कार्य	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0,-दिनांक-17-12-2021	210.32 210.32 139.91 3.83 **206.49**	136.71	69.78	47.40
24	नि.ख.-1 वाराणसी	जूनियर हाईस्कूल पयागपुर पंचकोशी रोड सूर्यदेव तिवारी के खेत से बुढापुर सरहद (रामकरन पटेल के मशीन) होते हुये बढ़ैनीखुर्द पश्चिमी तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	71.72 71.72 56.17 11.70 **60.02**	56.17	3.85	3.85
25	प्रा.ख. वाराणसी	पहाडिया बलुआ मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	36/2021/48 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-03-02-2021	2485.77 2485.77 1458.06 143.61 **2342.16**	1915.20	426.96	142.70
						कुल योग-	**519.73**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला **रू0 5,19,73,000/- (रूपये पॉच करोड़ उन्नीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-522/2023/1374रासनि(1)/23-1-23/004-05(ए)/आरएसएन-वीएनएस/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।